राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– चकसरदारपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 473 सन 2017

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

2. कृष्णलाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पत्नि स्व भानीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इष्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 8/6 के खसरा न0 88/2 की 0.6450हैक , खसरा न0 103/2 की 0.5310हैक कुल 1.1760हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से दर्ज है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम गलत तौर से हनुमान दर्ज है जबकि वादी के पिता का नाम भानीराम है अन्य सभी दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, एवं सरंपच ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा की तस्दीक के अनुसार भी वादी के पिता का नाम भानीराम है वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने के कारण वादी का राज्य सरकार से दी जाने वाली वितिय सुविधाओं का लाभ नही मिल पा रहा है इसलिये वादी के पिता का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी के वाद के सम्बध में तहसीलदार नोहर से जांच कर रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता का नाम विरास्तन से दर्ज हुआ है एवं हनुमान एवं भानीराम एक ही व्यक्ति के नाम है अन्य सभी दस्तावेजात में भी वादी के पिता का नाम भानीराम नाम संशोधन किया जाना विधि सम्मत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 8/6 के खसरा न0 88/2 की 0.6450हैक , खसरा न0 103/2 की 0.5310हैक कुल 1.1760हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम हनुमान दर्ज है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, में वादी के पिता का नाम भानीराम दर्ज है एवं चक सरदारपुरा की तस्दीक के अनुसार वादी के पिता का नाम भानीराम सही है तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट अनुसार हनुमान एवं भानीराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजात , सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक , तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाति है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 8/6 के खसरा न0 88/2 की 0.6450हैक , खसरा न0 103/2 की 0.5310हैक कुल 1.1760हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम हनुमान के स्थान पर हनुमान उर्फ भानीराम ~~[illegible]~~ संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आष्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–चक सरदारपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

2. कृष्णलाल पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पत्नि स्व भानीराम जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 473 सन 2017 निर्णय दिनांक 01.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 8/6 के खसरा न0 88/2 की 0.6450हैक , खसरा न0 103/2 की 0.5310हैक कुल 1. 1760हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पिता का नाम हनुमान के स्थान पर हनुमान उर्फ भानीराम पुत्र भादरराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–चक सरदारपुरा